

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: २२६६/२०१६/

दिनांक: २९/११/१६

## // कार्यालयीन आदेश //

माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार शोधार्थी छात्र जो विश्वविद्यालय के पुराने नियम के अनुसार रजिस्टर्ड हैं उनकी शोध केन्द्र की फीस 70/-रु. प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। अतः समस्त शोध केन्द्रों को यह सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार ही संबंधित शोधार्थी से शुल्क लेकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। यदि उक्त राशि से अधिक पुराने से शोध कार्य कर रहे शोधार्थियों से उक्त राशि के अतिरिक्त ली गई है तो उसे तुरंत वापिस किया जाये।

प्रति,

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष  
समस्त शोध केन्द्र  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर (म०प्र०)


आदेशानुसार



कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. माननीया कुलपति महोदया के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहा.कुलसचिव  
अकादमिक